AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The funding pattern of the Public Sector Outlay for the Plan does not provide for any monetised deficit in order to restrict the rate of inflation to 5 per cent per annum during the Ninth Plan. This strategy has been envisaged keeping in view the fact that planned increases in the foreign exchange reserves would generate corresponding increase in the base money in the economy and any additional increase in the money supply through deficit financing would create problems in monetary management.

(d) and (e) the Plan recognises that there may be unexpected hitches not only in raising additional resources but also in maintaining the desired rate of inflation at the 5 per cent level. In order to take care of such situations, the Plan provides for the alternative of allowing the inflation rate to rise to 7 per cent. In such a situation, it would be possible for the Government to take recourse to certain degree of monetised deficit of 0.3 per cent of the GDP.

Allocation for Indira Gandhi Canal Project

1058. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the amount allocated for the Indira Gandhi Canal Project under the 'State Plan Allocation' head in Eighth Five Year Plan;

(b) the amount sanctioned and provided for the said project from the State Plan Allocation 1998 and till the completion of the Eighth Five Year Plan period;

(c) by when Government would provide the remaining fund; and

(d) the amount proposed to be allocated for the Indira Gandhi Canal Project during the Ninth Five Year Plan, together with amount of money likely to be provided during the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) As approved by the Planning Commission, the Eighth Plan (1992—97) outlay in the State Plan for Indira Gandhi Nahar Project (IGNP) (Stage I & II) was Rs. 442.09 crore.

(b) and (c) The reported cummulative expenditure under State Plan upto the end of Eighth Five Year Plan and during Annual Plan (1997-98) for this project were Rs. 1042.10 crore and Rs. 88.19 crore respectively.

(d) As indicated in the State Annual Plan (1998-99) document, the outlay including Central assistance (i.e. Accelerated Irrigation Benefit Programme and Border Area Development Programme), for this project for the Ninth Five Year Plan (1997-2002) and for the current financial year (1998-99) are Rs. 1100 crore and Rs. 200 crore respectively.

गरीबी रेखा का निर्धारण

1059. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सोचती है कि वर्तमान गरीबी रेखा वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन नियमों का ब्यौरा क्या है तथा किस आधार पर ऐसा मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार गरीबी रेखा की समीक्षा करने तथा उसे पुनः निर्धारित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमान के लिए योजना आयोग द्वारा अपनाई गई निर्धनता रेखा, गरीबों की संख्या और अनुपात के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर है जिसकी अध्यक्षता प्रो० डी०टी० लकड़ावाला ने की थी और जिसमें भारत में निर्धनता माप के संबंध में प्रमुख विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में सम्मिलित थे। विशेषज्ञ दल ने निर्धनता की वैकल्पिक परिभाषा पर विचार किया और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के मानदंड के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की एक डॉली तदनुरूप 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपए के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता रेखा को अपनाने का निर्णय किया।

(ग) और (घ) निर्धनता रेखा की फिर से परिभाषा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह देश के विख्यात विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित है, तथापि, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निर्धनता रेखा की, कीमतों में परिवर्तनों की दृष्टि से, लगातार समीक्षा की जाती है, राज्य-वार नवीनतम निर्धनता रेखाओं का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

नई सरकारी कार्य प्रणाली के अनुसार 1996-97 के लिए गरीबी रेखाएं

	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	216.65	344.40
2.	अरूणाचल प्रदेश	280.85	271.71
3.	असम	280.85	271.71
4.	बिहार	263.13	305.50
5.	गोआ	266.97	419.98
6.	गुजरात	254.00	373.16
7.	हरियाणा	289.31	337.42
8.	हिमाचल प्रदेश	289.31	300.91
9.	जम्मू व कश्मीर	258.74	302.58
10.	कर्नाटक	255.12	385.40
11.	केरल	327.48	372.96
12.	मध्य प्रदेश	245.70	364.45
13.	महाराष्ट्र	266.97	419.98
14.	मणिपुर	280.85	271.71
15.	मेघालय	280.85	271.71
16.	मिजोरम	280.85	271.71
17.	नागालैंड	280.85	271.71
18.	उड़ीसा	249.69	287.37
19.	पंजाब	289.31	300.91
20.	राजस्थान	273.65	356.72
21.	सिक्किम	280.85	271.71
22.	तमिलनाडु	269.07	381.04
23.	त्रिपुरा	280.85	271.71
24.	उत्तर प्रदेश	272.53	320.84
25.	पश्चिम बंगाल	274.35	313.12
26.	अंडमान और निकोबार	269.07	381.04
27.	चण्डीगढ़	300.91	300.91
28.	दादरा और नगर हवेली	266.97	419.98
29.	दमन और दीव	266.97	419.98
30.	दिल्ली	289.31	404.96
31.	लक्षद्वीप	327.48	372.96
32.	पांडिचेरी	269.07	381.04
	अखिल भारत	266.27	353.44

1. असम की गरीबी रेखा सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग की गई है।

2. तमिलनाडु की गरीबी रेखा पांडिचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयोग की गई है।

3. केरल की गरीबी रेखा लक्ष्य द्वीप के लिए प्रयोग की गई है।

4. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व द्वीव के लिए प्रयोग की गई है।

5. पंजाब की शहरी गरीबी रेखा चण्डीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रयोग की गई।

Decision taken in NDC Meeting

1060. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the decisions arrived at